



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बुधवार, दिनांक 27.11.2024 को
मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.10.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ 01 से 04 तक)
टीप: कार्यवृत्त संलग्न है।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.10.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर	B.Sc.-III-Bio Group -(FC-Hindi, English), Geology, Chemistry Zoology,	30	2024-25	1. डॉ. कल्लोल कुमार घोष, रसायनशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc.-III-Maths Group-(FC-Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths,	50		2. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc.-III-Maths Group-(FC-Hindi, English), Geology, Maths, Physics	30		3. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, प्राचार्य, शास. महावि. खरोरा, जिला-रायपुर
		B.Com.-III	50		4. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Com.-III-Computer Application	50		
		B.C.A.-III-	50		

निरीक्षण तिथि : 27.09.2024

- समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता - शासकीय महाविद्यालय
- समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि - 14.5 एकड़
- इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि - N.A.
- शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि - N.A.
- महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - स्वयं का भवन
- महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता - पर्याप्त है।
- यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता - उपलब्ध है।
- प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - पर्याप्त है।
- प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता - शासन द्वारा स्वीकृत सेट अप के सभी पद पर शिक्षक नियुक्त है। 01- शिक्षक अतिथि व्याख्याता है।
- ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता - अतिथि ग्रंथपाल नियुक्त है। वर्तमान दर्ज संख्या के अनुरूप पर्याप्त है।

11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – (1) आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है। (2) सोलर पैनल स्थापित है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – (1) अतिथि ग्रंथपाल की नियुक्ति की गई है। (2) Lab Technician की पदस्थापना हेतु शासन को पत्र लिखा गया है।
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – आनग्रेड सोलर पैनल स्थापित है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – (i) ग्रंथपाल में और पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक है। विशेषतः कम्प्यूटर एवं कामर्स विषय की। (ii) पाठ्यक्रम के अनुरूप लासेंस साफ्टवेयर क्रय किया जाये।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर, जिला-रायपुर	B.A.-II- F.C. (Hindi & English Language), Political Sc., Sociology, History,	90	2024-25	1. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. निस्तर कुजूर, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. एस.के. भट्ट, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर 4. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, प्राचार्य, शास. महावि., खरोरा
		B.Sc.-II- Computer Sc.	45		
		B.Sc.-II- (Masths Group) - FC (Hindi & English Language), Chemistry, Maths, Physics	45		
		B.Com.- II- Compulsory subject	90		
निरीक्षण तिथि : 18.11.2024					
1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – N.A. 2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – N.A. 3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – N.A. 4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – निरंक 5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – नहीं, राय पब्लिक स्कूल परिसर माना में संचालित 6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – 9 कक्ष + 01 बड़ा हाल 7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – 03 कक्ष 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – आवश्यक उपकरण उपलब्ध। 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता – समाजशास्त्र में नियमित प्राध्यापक है। हिन्दी, राज. शास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी में अतिथि शिक्षक है। वाणिज्य में अतिथि शिक्षक है। विज्ञान में विद्यार्थी न होने के कारण रा.शास्त्र, रसा.शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान में अतिथि शिक्षक नहीं रखे गये।					

10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – ग्रंथपाल पद रिक्त कुल 642 पुस्तकें उपलब्ध है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – हाँ, पुस्तकें एवं उपकरण क्रय किया गया। Wash Room facility Drinking Water facility Create की गई है।
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – छात्रों की तुलना में सुविधाएं पर्याप्त है। भविष्य में सुविधाएँ बढ़ाना आवश्यक है। खेलकूद का मैदान उपलब्ध है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – फर्नीचर, Lab equipments आदि की आवश्यकता है। एक कंप्यूटर Lab की स्थापना आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iii.	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बलेभाटा, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Sc.-II (Bio.)	30	2024-25	1. प्रो. के.के. घोष, रसायन अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc.-II (Maths)	30		2. डॉ. एस.के. भट्ट, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर
					3. डॉ. कमलेश कुमार शुक्ला, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर
निरीक्षण तिथि : 22.10.2024 1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – पंजीयन तिथि 25.05.2023 2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – मानव मित्र, 9 एकड़ 3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – Rs. 35,000,00=00 4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – 25.05.2023 से तीन वर्ष के लिए 5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं के भवन में संचालित 6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – उपलब्धता है। 7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – सभी विषयों का प्रयोगशाला उपलब्ध है। 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – उपलब्ध है। 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – रसायन : संस्था से चयनित – 02, भौतिकी : संस्था से चयनित – 01, गणित : संस्था से चयनित – 02, वनस्पति : संस्था से चयनित – 02, प्राणीशास्त्र : संस्था से चयनित – 02, 10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – नियमित ग्रंथपाल चाहिए। रसायन : 60 + 20 = 80 भौतिकी : 70 वनस्पति : 80 Zoology : 75 } = 305					

11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ –
i. बस सुविधा
ii. कैंटीन उपलब्ध
iii. मेस उपलब्ध
iv. छात्रावास
v. RAMP
vi. COMPUTER LAB/SMART CLASS
vii. प्रेक्षागृह
viii. खेल का मैदान
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं ? – नियमित प्राचार्य Process में है। 2f हो गया है। पुस्तकें तथा प्रायोगिक विषयों के क्रय किया गया है। धारा 28 शिक्षक चाहिए।
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – NAAC- B ⁺ , 2f है। मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
i. नियमित प्राचार्य की नियुक्त करना है।
ii. नियमित ग्रंथपाल चाहिए।
iii. धारा-28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरा किया जाय।
iv. पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों में कुछ पुस्तकें क्रय करना है।
v. पाठ्यक्रम के अनुसार भौतिक शास्त्र तथा वनस्पति विषयों के लिए कुछ उपकरण क्रय करना है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iv.	शासकीय जे. योजनानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर (स्वशासी) महा. बैरन बाजार, रायपुर	B.A.LLB-II- Five Years Integrated Course	120	2025–26	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.A.LLB-III- Five Years Integrated Course	120	2026–27	2. डॉ. अलेख साहू, विधि अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर
		B.A.LLB-IV- Five Years Integrated Course	120	2027–28	3. डॉ. प्रिया राव, विधि अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर
		B.A.LLB-V- Five Years Integrated Course	120	2028–29	
निरीक्षण तिथि : 19.10.2024					
1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – N.A.					
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – N.A.					
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – N.A.					
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – N.A.					
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं का					
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – पर्याप्त					
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – उपलब्ध					
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – पर्याप्त					

9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – पर्याप्त
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – अतिथि ग्रंथपाल है, ग्रंथालय में पुस्तकें पर्याप्त है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – मूट कोर्ट एवं Legal Add Clinic, Departmental Library उपलब्ध है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – निराकृत हो गया है।
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें –
 - i. विभाग में पाठ्यक्रम एवं छात्र संख्या को देखते हुए BCI नार्म्स के अनुसार एक पृथक भवन का निर्माण किया जाना उचित होगा।
 - ii. Computer Lab के लिए तकनीकी कर्मचारी की नियुक्त किया जाना उचित होगा।
 कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – —

04. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के अंतर्गत संचालित Centre for Sports Skill development (Earn and Learn) के अंतर्गत फुटबॉल खेल को भी उक्त केन्द्र में प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

टीप: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्ययन के अंतर्गत Centre for Sports Skill development (Earn and Learn) प्रारंभ करने की अनुमति कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21.08.2024 में प्रदान की गई थी। खेल कौशल विकास केन्द्र में बैडमिंटन, टेनिस तथा Defence Training का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

इसी क्रम में छात्रों की माँग के अनुरूप शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के Centre for Sports Skill development के अंतर्गत फुटबॉल खेल को भी उक्त केन्द्र में प्रारंभ करने के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

05. पी-एच.डी. हेतु संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 के क्रियान्वयन हेतु अध्यादेश के कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश हेतु विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 45 इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 3453/अका./2024 दिनांक 31.05.2024 द्वारा प्रभावशील है। उपरोक्त संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 के कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश हेतु संक्षेपिका संलग्न है। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

06. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू द्विवार्षिक प्रवेश (Biannual Admission) के संबंध में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 641/203/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 10.10.2024 के संबंध में विचार करना।

टीप: कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 641/203/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 10.10.2024 द्विवार्षिक प्रवेश (Biannual Admission) लागू किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना पत्र क्र. F. 1-2/2024 (CPP-II) (C.No. 143903) 19th June, 2024 संलग्न है।

07. Prof. Nitin Chattopadhyay, Professor, Department of Chemistry & Former Dean, Faculty of Science, Jadavpur University, Kolkata को रसायन अध्ययनशाला में Visiting Professor के रूप में नियुक्त किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: दिनांक 25.11.2024 को Screening /Expert Committee की बैठक आयोजित हुई, जिसमें चर्चा उपरांत निम्नानुसार अनुशंसा किया गया –

"The Committee discussed upon the proposal of the Staff Council of School of Studies in chemistry to offer the status of Visiting professor to Prof. Nitin Chattopadhyay at School of Studies in Chemistry.

The Committee recommends the proposal to nominate Prof. Nitin Chattopadhyay, Professor, Department of Chemistry & Former Dean, Faculty of Science, Jadavpur University, Kolkata as Visiting Professor at School of Studies in Chemistry, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

The duration of the appointment shall be initially for One year."

समिति की उपरोक्त अनुशंसा विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

08. **Devi Ahilya Bai Financial Aid Policy for the UTD Students of PRSU, (Establishment and its Disbursement Rule) के ड्राफ्ट के संबंध में विचार करना।**

टीप : NAAC Innovative and Unique Practice स्थापित करने की दृष्टि से निर्धन एवं आर्थिक रूप से विपन्न (किसी भी वर्ग के) छात्रों हेतु एक आर्थिक कोष 'Devi Ahilya Bai Financial Aid Account' नाम से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में "Devi Ahilya Bai Financial Aid Policy for UTD Student of PRSU" शीर्षक के साथ नीति निर्मित किया जाना है। उपरोक्त प्रस्तावित कोष में धनराशि मात्र एवं मात्र समाज अथवा शिक्षक समुदाय अथवा जो कोई भी इच्छुक हो, उन से दान-स्वरूप प्राप्त की जाएगी। इस खाते का संचालन एवं पोषण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं लिया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव हेतु ड्राफ्ट विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

09. **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम क्रमांक 149 (Under the Ordinance 170) के कंडिका क्रमांक (3) Internal Evaluation को 30 अंकों के आधार पर किए जाने एवं विनियम में संशोधन के संबंध में विचार करना।**

10. **एम.एस.-सी. फोरेंसिक साइंस के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की अनुशंसा करना।**

11. **उपाधि संबंधी प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना –**

- अंकसूची में छात्र/छात्राओं के नाम संबंधी त्रुटियाँ।
- अंकसूचियों में छात्राओं के नाम के सम्मुख कु. (KU.) का उल्लेख होना अथवा न होना।
- माता-पिता, अभिभावकों का पूर्ण नाम अथवा लघु नाम (full Name & Short Name) त्रुटि।
- नामांकन संख्या अथवा नामांकन संबंधी अन्य त्रुटियाँ।
- नामांकन संख्या संयोजन/आबंटन के संबंध में।
- नाम परिवर्तन (छात्र/छात्रा/अभिभावक) के संबंध में।

टीप: उपाधि विभाग से प्राप्त समस्या/सुझाव निम्नानुसार है –

1.	अंकसूची में छात्र/छात्राओं के नाम संबंधी त्रुटियाँ।
सुझाव-	अंकसूचियों में छात्र/छात्राओं के नाम संबंधी त्रुटियों में सुधार विगत परीक्षा में उनके द्वारा अंकित सूचना अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इस संदर्भ में किसी विवाद की स्थिति में विद्यापरिषद् की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
2.	अंकसूचियों में छात्राओं के नाम के सम्मुख कु. (KU.) का उल्लेख होना अथवा न होना।
सुझाव-	छात्र/छात्रा का केवल नाम ही अंकसूची में अंकित किया जाएगा, नाम के सम्मुख कु./श्रीमती/श्री/डॉ. नहीं लिखा जाएगा। यदि किसी स्तर पर छात्र/छात्रा अपने नाम के सम्मुख श्री/कु./डॉक्टर आदि जुड़वाना चाहे तब इससे संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए शपथ-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय से निवेदन कर सकेगा, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यह छात्र/छात्राओं का अधिकार नहीं होगा। यदि छात्रा विवाहित है और उसने अपने आवेदन में नाम से पहले श्रीमती शब्द और उपनाम भी लिखा है तो विवाह का पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र लेकर उसके नाम से पहले श्रीमती तथा उपनाम लिखा जा सकेगा।
3.	माता-पिता अभिभावकों का पूर्ण नाम अथवा लघु नाम (full Name & Short Name) त्रुटि।
सुझाव-	विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित आवेदन पत्रों में माता-पिता के नाम के दो नये कालम पूर्ण नाम एवं संक्षिप्त नाम, बढ़ाया जाएगा ताकि हाई स्कूल/मैट्रीकुलेशन (बारहवीं) की अंकसूची/प्रमाण-पत्र से इसका मिलान कर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में किसी विवाद की स्थिति में विद्यापरिषद् की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

4.	नामांकन संख्या अथवा नामांकन संबंधी अन्य त्रुटियाँ। सुझाव —नामांकन संख्या एवं नामांकन सम्बन्धी आवेदन-पत्र में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अंकित सूचना के सम्बन्ध में नामांकन विभाग द्वारा आवेदित संशोधन के उपरान्त ही उपाधि विभाग द्वारा उपाधि निर्गत की जाएगी।
5.	नामांकन संख्या संयोजन/आवंटन के सम्बन्ध में। सुझाव —प्रवेश के समय छात्र/छात्रा को जो नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी वह विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहने तक तथा अध्ययन के दौरान पाठ्यक्रम परिवर्तित करने पर भी यथावत रहेगी।
6.	नाम परिवर्तन (छात्र/छात्रा/अभिभावक) के संबंध में। सुझाव —उक्त के संबंध में संबंधित राज्य के राजपत्र की प्रति मान्य होगी।

12. खोमेश्वर साहू, योगेश्वर कुमार साहू एस.आर.एफ. शोध छात्र दर्शनशास्त्र तथा अखिलेश्वर कुमार यादव, शोध छात्र, आरती गजेन्द्र, शोध छात्रा के आवेदनों पर ग्रीवेंस कमेटी के अभिमत पर विचार करना।

टीप : ग्रीवेंस कमेटी का अभिमत संलग्न है।

13. सत्र 2024-25 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. नवीन महाविद्यालय, नवागांव, सेक्टर-28, नवा रायपुर, जिला-रायपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी सिहावा, धमतरी

14. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

(हस्ताक्षर)
26/11/24
कुलसचिव